न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)

मन्नू उर्फ मनीराम विश्वकर्मा उम्र 56 साल
वल्द श्री रामदास विश्वकर्मा
निवासी जैसीनगर तहसील जैसीनगर जिला सागर (म.प्र.)

---- आवेदक/रिवीजनकर्ता

।। बनाम ।।

1– प्रदीप कुमार पिता रविशंकर घोषी
निवासी ग्राम कनेरा देव तह. व जिला सागर (म.प्र.)

2– मोहनलाल पटैल वल्द रामचरण पटैल

3– ब्रजलाल वल्द रामचरण पटैल

4– सुदीप पिता मुन्नालाल पटैल

5– हरिराम पिता किशोरी पटैल
सभी निवासी ग्राम जैसीनगर तहसील जैसीनगर
जिला सागर (म.प्र.)

---- अनावेदकगण

रा.रिवी.क्रं. :

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करते है –

यह कि, रिवीजनकर्ता श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत्त जैसीनगर जिला सागर के सीमांकन प्रतिवेदन क्रमांक 11, 12, 16 से परिवेदित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है –

1– यह कि, नायब तहसीलदार वृत्त जैसीनगर द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट सर्वथा गैरकानूनी अनुच्छेद व निराधार होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि, वास्तविकता यह है कि रिवीजनकर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक भूमि मौजा जैसीनगर पटवारी हल्का नंबर 183 खसरा नंबर 9 रकवा 0.630 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 13 रकवा 0.940 हैक्टेयर जुमला रकवा 1.170 हैक्टेयर है जिसका कि वह एक मात्र मालिक एवं काबिज हैं तथा उक्त खेत में चारों तरफ से मेड डली हुई हैं फैनसिंग लगी हुई हैं तथा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/6089 — मन्नू विरूद्ध प्रदीप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार जैसीनगर के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3.1.2019 (आर.के. जैन) सदस्य	